भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 617

मंगलवार, 03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

माल ढुलाई समतुल्य करने संबंधी नीति

617. श्री अरुण भारतीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कभी बिहार जैसे राज्यों पर माल ढुलाई समतुल्य करने संबंधी नीति (1952-1993) के दीर्घकालिक नकारात्मक आर्थिक प्रभाव का कोई औपचारिक आकलन किया है;

(ख) क्या इस नीति के कारण भौगोलिक लाभ समाप्त होने से खनिज समृद्ध पूर्वी क्षेत्र से पूंजी का पलायन और वि-औद्योगीकरण हुआ और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन चार दशकों के दौरान, जब यह नीति लागू थी, बिहार को हुए कुल अनुमानित वित्तीय और औद्योगिक उत्पादन नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस ऐतिहासिक नुकसान की भरपाई के लिए बिहार के लिए किसी प्रतिपूरक औद्योगिक पैकेज या विशेष प्रोत्साहन पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएम गति शक्ति जैसी नई औद्योगिक नीतियां जमुई जैसे पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को सक्रिय रूप में बढ़ावा दें, क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): मालभाड़ा समकरण नीति (1952-1993) भारत सरकार की एक नीति थी, जिसका उद्देश्य देशभर में आवश्यक कच्चे माल की परिवहन (मालभाड़ा) लागत को समान बनाकर औद्योगिक विकास के मामले में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना था। मालभाड़ा समकरण नीति की समय-समय पर समीक्षा की गई, ताकि इसके उद्देश्यों के संदर्भ में इसके प्रभाव का आकलन किया जा सके। यह समीक्षा राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (पांडे समिति,

1980) द्वारा की गई थी। इस समिति द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:-

(i) यह संतुलित क्षेत्रीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन नहीं था। लाइसेंसिंग नीति, उपयुक्त राजकोषीय और ऋण नीति तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसे अन्य उपाय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

(ii) मालभाड़ा समकरण के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय संवितरण के संदर्भ में जो लाभ हुआ, वह वास्तविक परिवहन लागत में वृद्धि के कारण समाप्त हो गया।

(iii) पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार संबंधी कार्यकलाप सृजित करने में मालभाड़ा समकरण नीति का बहुत कम प्रभाव पड़ा। मौजूदा मालभाड़ा समकरण स्कीम को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के कारण मौजूद हैं।

(iv) व्यापक स्तर पर उपभोग की वस्तुओं के लिए मालभाड़ा समकरण से उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली अंतिम कीमतों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आएगा। यह लक्ष्य एक व्यापक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सकता है।

सरकार ने पांडे समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। सीमेंट के मामले में, दिनांक 28.2.1989 से सीमेंट के नियंत्रण मुक्त होने के साथ मालभाड़ा समकरण स्कीम को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया गया। लौह और इस्पात के मामले में, उदारीकरण पैकेज के तहत सरकार ने दिनांक 17.1.1992 से लौह और इस्पात पर मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिया, जबकि कुछ संवेदनशील क्षेत्रों–जैसे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए इंजीनियरिंग वस्तुओं के लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यातकों तथा रेलवे और रक्षा क्षेत्रों के संबंध में आंशिक वितरण नियंत्रण बनाए रखा गया। इस प्रकार, मालभाड़ा समकरण स्कीम को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि मालभाड़ा समकरण स्कीम को किसी भी नई मद पर लागू नहीं किया जाएगा।

(ङ): पीएम गतिशक्ति - राष्ट्रीय मास्टरप्लान (एनएमपी) भारत सरकार की एक पहल है, जिसकी शुरूआत देश की अवसंरचना योजना और कार्यान्वयन में सुधार के लिए अक्तूबर, 2021 में की गई थी। यह भू-स्थानिक (जियोस्पेशियल) डेटा पर आधारित एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो मल्टीमोडल अवसंरचना के विकास के लिए सभी क्षेत्रों (अवसंरचना, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र) को एक साथ लाता है। यह योजना केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 1700 से अधिक डेटा लेयरों वाले जीआईएस-

आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, जिससे डेटा-आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) एक संस्थागत व्यवस्था है, जो पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों–जैसे एकीकृत योजना, मल्टी-मोडेलिटी, इंटर-मोडेलिटी, समग्र सरकार आधारित दृष्टिकोण तथा अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के आधार पर पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान (एनएमपी) के अंतर्गत अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन करती है।

पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत एनपीजी प्रणाली के माध्यम से अब तक जमुई के समीपवर्ती क्षेत्रों सहित बिहार राज्य में स्थित लगभग 1.73 लाख करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 34 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 03.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 617 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बिहार राज्य में स्थित उन 34 परियोजनाओं का विवरण, जिनका मूल्यांकन एनपीजी द्वारा किया गया है-

क्रम संख्या	**परियोजना का नाम**	**मंत्रालय / विभाग**	**परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)**	**राज्य**
1	पटना में गंगा नदी पर नया 6-लेन उच्च स्तरीय / एक्स्ट्रा डोज्ड केबल ब्रिज, मौजूदा दीघा-सोनपुर रेल-सह-सड़क पुल के पश्चिमी हिस्से के समानांतर, ईपीसी मोड में	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2860.05	बिहार
2	उत्तर-पूर्व फ्रंटियर रेलवे के कटिहार-कुमेदपुर एवं कटिहार-मुकुरिया खंड का दोहरीकरण (64.14 किमी)	रेल मंत्रालय	942.64	बिहार, पश्चिम बंगाल
3	उत्तर-पूर्व रेलवे के गोरखपुर कैंट-वाल्मीकि नगर खंड का दोहरीकरण (95.95 किमी)	रेल मंत्रालय	1120.00	उत्तर प्रदेश, बिहार
4	एनएच-31 के गाजीपुर-बलिया-उ.प्र./बिहार राज्य सीमा खंड (ग्रीनफील्ड) से चार लेन वाले राजमार्ग का निर्माण 1. पैकेज I [हृदयपुर (0.000 किमी) से शाहपुर (42.500 किमी) तक] 2. पैकेज II [शाहपुर (42.500 किमी) से पिंडारी (78.150 किमी) तक] 3. पैकेज III [पिंडारी (78.150	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3554.28	उत्तर प्रदेश, बिहार

	किमी) से रावलगंज बाईपास (117.120 किमी) तक] 4. पैकेज IV [बक्सर स्पर, लंबाई 17.270 किमी]			
5	गोरखपुर-सिलीगुड़ी कॉरिडोर	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	27545.00	उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल
6	भारत-नेपाल सीमा - हल्दिया कॉरिडोर	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	30233.00	बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल
7	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के एचडीएन रूट पर न्यू जलपाईगुड़ी-गुवाहाटी (वाया रंगिया) एवं कटिहार-मुकुरिया खंड में सीटीसी सहित स्वचालित सिग्नलिंग का प्रावधान	रेल मंत्रालय	542.43	बिहार, पश्चिम बंगाल, असम
8	सोननगर-अंदाल तीसरी एवं चौथी रेलवे लाइन	रेल मंत्रालय	12333.57	बिहार, पश्चिम बंगाल
9	पूर्व मध्य रेलवे के बिक्रमशिला-कटरिया (पीरपैंती-नौगछिया) (26.22 किमी) के मध्य नई लाइन	रेल मंत्रालय	2171.33	बिहार
10	सासाराम-आरा-पटना सड़क	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3364.00	बिहार
11	परसरमा से अररिया तक एनएच-327ई पर चार लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	4890.47	बिहार
12	नबीनगर (अंकोरहा) में बल्ब लाइन का निर्माण (17.49 किमी)	रेल मंत्रालय	611.73	बिहार
13	अनीसाबाद-औरंगाबाद-हरिहरगंज सड़क	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	1210.00	बिहार
14	नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा एवं सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर	रेल मंत्रालय	4080.00	बिहार

	खंड का दोहरीकरण (255.5 किमी)			
15	बिहार के गया में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) के तहत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) का विकास	एनआईसीडीसी, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग	1862.00	बिहार
16	बिहटा एयरपोर्ट	नागर विमानन मंत्रालय	1413.00	बिहार
17	बकरपुर-मणिकपुर-साहेबगंज-अरेराज-बेतिया	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	5644.22	बिहार
18	अलुआबाड़ी - न्यू जलपाईगुड़ी क्वाड्रुपलिंग	रेल मंत्रालय	1633.22	पश्चिम बंगाल, बिहार
19	4 लेन + किशनगंज-बहादुरगंज पीएस किमी 0+000 से किमी 23.649 तक	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	1117.01	बिहार
20	भागलपुर से जमालपुर तक नई बीजी लाइन (52.810 किमी)	रेल मंत्रालय	1094.60	बिहार
21	रामपुरहाट-भागलपुर का दोहरीकरण	रेल मंत्रालय	2999.57	पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार
22	एमएमएलपी पटना	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	1008.18	बिहार
23	बख्तियारपुर-तिलैया दोहरीकरण	रेल मंत्रालय	2017.39	बिहार
24	मोकामा-मुंगेर	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2010.34	बिहार
25	पटना से पूर्णिया तक 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे का विकास	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	28415.63	बिहार
26	बख्तियारपुर से फतुहा स्टेशन के मध्य तीसरी एवं चौथी रेलवे लाइन	रेल मंत्रालय	875.72	बिहार
27	खगड़िया से पूर्णिया तक चार लेन विभाजित कैरिजवे	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3975.02	बिहार
28	अनीसाबाद-दीदारगंज में छह लेन एलिवेटेड सड़क एवं सर्विस रोड	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	4063.38	बिहार
29	मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा की	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	3590.73	बिहार

	चार लेन का कार्य	मंत्रालय		
30	किउल से पुनरख तक तीसरी एवं चौथी लाइन	रेल मंत्रालय	2513.92	बिहार
31	गंगा नदी पर पुल सहित जमालपुर-मुंगेर-सबदलपुर दोहरी लाइन, जिसमें जमालपुर अवॉयडिंग लाइन भी शामिल है	रेल मंत्रालय	1797.09	बिहार
32	बरहरवा से भागलपुर तक तीसरी एवं चौथी लाइन	रेल मंत्रालय	3885.42	झारखंड, बिहार
33	दानापुर (डीएनआर) से पं. दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) स्टेशन के मध्य तीसरी एवं चौथी लाइन	रेल मंत्रालय	7406.28	बिहार, उत्तर प्रदेश
34	किउल से झाझा स्टेशन के मध्य तीसरी लाइन	रेल मंत्रालय	902.56	बिहार
		कुल लागत	**173,683.78**	

*****